नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 10/2018

श्रीमति लीलादेवी पत्नि श्री भागचन्द जी जाति जाट (बागडा) निवासी ग्राम रेण तहसील भिनाय जिला–अजमेर हाल निवासी गुलाबपुरा जिला भीलवाडा

————–प्रार्थीया

ब ना म

राजस्थान सरकार जरिये भू धारक एंव लैण्ड होल्डर श्रीमान् तहसीलदार, बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

आदेश

दिनांक 10.03.2021

संक्षिप्तः प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि मौजा नगर पटवार हल्का शिखरानी द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर में स्थित खसरा नंबर 134 में प्रार्थीया की खातेदारी भूमियां है, जिस पर प्रार्थीया मालिक काबिज व काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया की उक्त भूमियो में आने जाने का 40 फीट चौडा रास्ता सदियो से सरकारी खाते में दर्ज भूमि खसरा नंबर 133 में से रहा है, एंव इन्ही भूमियो से होकर प्रार्थीया अपनी भूमियो में आवागमन करती है, ट्रेक्टर एंव अन्य कृषि यंत्र खेत में पहुंचाने वापस ले जाने एंव चारा फसल ले जाने हेतू वाहन व आवागमन होता है। प्रार्थीया के पास अन्य कोई मार्ग अधिकार,सुखाधिकार विद्यमान नही है, और ना ही होना संभावित है। प्रार्थीया के पास इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य किसी भी भूमि से आवागमन का मार्ग उपलब्ध नही है। प्रार्थीया माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार कुछ भाग में रास्ता उदघोषित किया जाना न्यायोचित है, तथा प्रार्थीया राजकीय दरो से भुगतान हेतू सहमत है। अतः निवेदन है, कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर प्रार्थीया को 40 फीट चौडा मार्गाधिकार उपलब्ध कराया जावे जो खसरा नंबर 133 पर से होकर जा रहा है, तदनुसार इस खसरा नंबर में रास्ते की तरमीम दर्ज की जाकर प्रार्थीया के पक्ष में रास्ते की अमल दरामद करने हेतू अप्रार्थी को आदेशित करने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने पत्र क्रमांक एल.आर./2018/945 दिनांक 1.5.2018 के द्वारा कथन किया है, खससरा नंबर 134/1, 1195/134 खातेदार के नाम दर्ज है, एंव उक्त खसरे पर खातेदार का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा खसरा नंबर 134/1, 1195/134 में आने जाने के लिये 40 फीट चौडा रास्ता खसरा नंबर 133 रकबा 0.6759 हेक्टर सिवायचक भूमि में से होकर जाता है, जिसमें खातेदार द्वारा अपने कृषि उपयोग के लिये उक्त रास्ते का ही प्रयोग किया जाता है। वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार खातेदार द्वारा खसरा नंबर 133 सिवायचक भूमि का ही रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है, खातेदार द्वारा सिवायचक भूमि में से 40 बाई 33 फीट रास्ते का उपयोग किया जा रहा है, वर्तमान मौका स्थिति अनुसार खातेदार के पास उक्त सिवायचक भूमि के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता मार्ग नही है खातेदार द्वारा सिवायचक भूमि से 40 बाई 33 फीट का रास्ता दिये जाने पर नियमानुसार डी0एल0सी0 दर का भुगतान करने के लिये सहमत है, ग्राम नगर की वर्तमान डी0एल0सी0 दर रोड के नजदीक 1,81,800/– रूपये प्रति बीघा है, खसरा नंबर 133 में से 00–01–10 बीघा भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है।

प्रकरण में उभयपक्षान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 16:23:10 IST
Reason: SelfAttested

निरन्तर..................

श्रीमति लालीदेवी बनाम राजस्थान सरकार
राजस्व वाद संख्या 10/2018

134/1 अन्य खसरान सहित प्रार्थीया के नाम दर्ज होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के अनुसार खसरा नंबर 133 रकबा 0.6759 हैक्टयर बंजर भूमि दर्ज होना पाया गया। तहसीलदार मसूदा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि से मुख्य सड़क पर पहुचने में खसरा नम्बर 133 में से रकबा 00–01–10 भूमि रास्ते हेतु उपयोग होना बताया है तथा तहसीलदार मसूदा ने जो नक्शा ट्रेस में जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, जो मुख्य रोड से नजदीक होने के कारण डीएलसी दर 1,81,800/–रू. प्रति बीघा बताई गई। अतः प्रार्थीया स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 134 में आने जाने हेतु रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी पाए जाते हैं।

ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि मौजा नगर पटवार हल्का शिखरानी द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर खसरा नम्बर 134 में आने–जाने हेतु रास्ता बाबत खसरा नम्बर 133 में से रकबा 00–01–10 को सिवायचक आम रास्ता अंकित किये जाने के आदेश पारित किए जाते हैं। प्रार्थीया से नियमानुसार उक्त रकबे की रांशि प्राप्त की जाकर राजकोष में जमा करने के पश्चात् उक्त रास्ते की भूमि को आम रास्ता सिवायचक राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जावे तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। जिस पर समस्त व्यक्ति आने–जाने हेतु उपयोग कर सकेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 10.03.2021 को सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मसूदा (अजमेर)

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी मसूदा
(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 15:23:10 IST
Reason: SelfAttested